संख्या-11/577/78-1-2013-23/2013

प्रेषक,

जी0पी0 कमल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन 1
2- समस्त विभागाध्यक्ष् एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 05 सितम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 (ब्याज उपादान) के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल व्यवसायिक वातावरण प्रदान कर तथा नीतिगत उपायों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक आकर्षक उद्देश्य (Attractive Destination) के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति कोक सुदृढ. करने उद्देश्य से शासनादेश संख्या:968/78-1-2013-25/2012 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 उद्घोषित की गई है। सूचना प्रौद्यगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 5.1.1 "ब्याज उपादान" एवं प्रस्तर 5.2.3 "औद्योगिक विकास उपादान" में सावधि ऋण तथा कार्यशील पूँजी पर ब्याज उपादान प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है।

प्रस्तर 5.1.1 ब्याज उपादान

"सावधि ऋण (Term loan) तथा कार्यशील पूँजी (Working Capital) पर लघु, मध्यम और वृहद स्तर कम्पनियों को व्यावसायिक कार्यकलाप (Commercial Operations) प्रारम्भ

http://shasnadesh.up.nic.in

<u>होने अर्थात प्रथम व्यवसायिक लेन-देन (Transaction) की तिथि से 5 वर्षो तक निम्नलिखित आधार पर पर ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा:-</u>

- **बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 1.00 करोड होगी।**
- **निवेशक इकाई द्वारा जिस राष्ट्रीकृत बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया होगा, ब्याज उपादान का भुगतान सीधे उस संस्थान को किया जायेगा । "**

<u>प्रस्तर 5.2.3 औद्योगिक विकास उपादान</u>

"यदि द्वितीय एवं तृतीय सोपान के नगरों में तीन वर्षो की अवधि के भीतर वर्तमान इकाईयों द्वारा 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार (Capacity Enhancement) हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (सरकारी अभिकरणों से भूमि क्रय पर मिली छूट को छोडकर) के 50 प्रतिशत के बराबर औद्योगिक किवास प्रोत्साहन अनुमन्य होगें । वर्तमान इकाईयों द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व अपनी इकाई के वर्तमान (Status) संबंध में समस्त वांछित विवरण उपलब्ध कराते हुए आगामी विस्तार हेतु वांछित सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से टाई-अप करने इत्यादि का विवरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया
गया हो।"

2. <u>ब्याज उपादान हेतु पात्रता</u>

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.2.3 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयां पात्र होंगी:-

i. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयॉ जिनके द्वार शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

http://shasnadesh.up.nic.in

ii. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयॉं जिनमें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि भीतर 03 वर्षो में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार (Capacity Enhancement) हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश कर विस्तारित क्षमता पर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

3 <u>ब्याज उपादान अवधि</u>

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज उपादान अनुमन्य होगा।

4. **आच्छादन** :- उत्तर प्रदेश के सोपान-2 **(Tier-II)**व सोपान-3 **(Tier-III)** नगर

5. **परिभाषायें:-**

5.1 **(a) "** नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाईयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो तथा जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

5.1 **(b)** " वर्तमान इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि वर्तमान इकाईयों से है जिनके द्वार शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 होने वाली अवधि के भीतर 03 वर्षो में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त् पूँजी निवेश कर विस्तारित क्षमता पर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो तथा जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बनिधत जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं

http://shasnadesh.up.nic.in

मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

5.2 **"कम्पनी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योकगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी कम्पनी से है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया है।

5.3 **"सोसाइटी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया

5.4 **"पार्टनरशिप"** से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है, जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5.5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थाओं एवं शेड़यूल्ड बैंकों से है।

5.6 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी कार्यो हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

5.7 "वर्ष" का तात्पर्य का दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

5.8 "क्षमता विस्तार या विस्तारित क्षमता" से तात्पर्य किसी पात्र इकाई द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अविध में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार से है।

5.9 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग"

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/कम्पनियॉ इत्यादि सम्मिलित हैं जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/कम्पनियों में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्स (IT applications) सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें सम्मिलित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं का आशय बी0पी0ओ0(Business process outsourcijg)/के0पी0ओ0(Knowledge process outsourcijg)/परामर्श(Consulting)/

http://srashadesh.up.nic.in

एनीमेशन (Animation), गेमिंग(Gaming) तथा ज्ञान-आधारित उद्योग (Knowledge industry based) जैसे नैनो टेक्नोलॉजी (Nano Technologies), टेलीकम्युनिकेशन्स(टेली-सम्प्रेषण) आदि से है।

5.10 सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकॉम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रॉसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रॉसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ऐनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-ऑफिस ऑपरेशन्स-लेख एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा प्रॉसेसिंग तथा कॉल-सेन्टर आदि इनमें से कतिपय सेवाओं की सांकेतिक सूची नीचे दी गयी है:-

- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centers) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक ऑफिस प्रॉसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया-इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग(रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें(Website development & maintenance Services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस(DAta Serch, Integration & Analyses) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network c onsulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Eduacation)
- एनीमेशन-(रिमोट द्वारा)
- गेमिंग

http://shashadesh.up.nic.in

- o मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- o अनुवाद (Translation) नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण(Localization) (रिमोट द्वारा)
- o परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:-
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0(Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0'ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0-(Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- o डेटा प्रॉसेसिंग
- o सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- o सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- o डिजाइनिंग एण्ड डिजाइनिंग सिस्टम्स
- o कॉल सेन्टर्स
  - वॉयस-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
  - डेटा-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
- o साफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- o आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था साहित)

उक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, जो उपर्युक्त् में सम्मिलित नहीं है, भी सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

5.11 वर्गीकरण (Classification):-

सोपान-1(Tier I): नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान-2(Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपूर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर

सोपान-3 (Tier III) 20 लाख से कम जनसंख्या वाले

http://shasnadesh.up.nic.in

नगर मेगा परियोजनायें :- रू0 200 करोड से अधिक पूँजी निवेश वाली परियोजनायें मेगा परियोजनायें मानी जायेंगी ।

5.12 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित Goods and Services की बिक्री प्रथम तिथि से है।

5.13 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 4.7 में परिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

6 <u>ब्याज उपादान का विवरण</u>

6.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों द्वारा बैंको/वित्तीय संस्थाओं सेलिये गये सावधि ऋण तथा कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा।

6.2 इकाई द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि से पॉच वर्षो की अवधि हेतु ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा।

6.3 नई इकाई द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था को अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक उपादान की धनराशि सीमित होगी तथा इसकी सीमा रू0 1 करोड प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी। वर्तमान इकाई के लिए ब्याज उपादान की दर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रति इकाई एवं ब्याज उपादान की अधिकतम राशि रू0 50 लाख तक सीमित होगी।

6.4 भुगतान सीधे सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था पीआईयू की संस्तुति पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा, तथापि सम्बन्धित इकाई द्वारा यदि ब्याज का उपादान बैंक/वित्तीय संस्था को कर दिया गया है तो बैंक/वित्तीय संस्था की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान सीधे सम्बन्धित इकाई को कर दिया जायेगा।

उदाहरणार्थ सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की एक नई इकाइ द्वारा 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर किसी बैंक से रू0 10 करोड का सावधि ऋण लिये जाने हेतु एक अनुबन्ध किया गया जाता है। इस धनराशि पर ब्याज राशि रू0 70 लाख प्रति वर्ष होती है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि में इकाई रू0 50 लाख

http://shasnadesh.up.nic.in

प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्राप्त करने की पात्र होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष रू0 50 लाख की धनराशि इकाई की ओर से प्रतिवर्ष सीधे बैंक को उपादान स्वरूप भुगतान की जायेगी तथा शेष रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की धनराशि इकाई द्वारा सीधे भुगतान की जायेगी। तत्पश्चात (कुल 7 वर्षो में से) शेष 2 वर्षो में ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि रू0 70 लाख प्रतिवर्ष इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी। वर्तमान इकाई के मामले में, ब्याज उपादान की दर 2.50 प्रतिशत तथा उपादान की राशि 25 लाख प्रतिवर्ष होगी।

6.5 उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी:-

6.5.1 नई इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। वर्तमान इकाई के मामले में 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने पर वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

6.5.2 नई इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। वर्तमान इकाई के मामले में इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 2.50 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

6.5.3 प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की सीमा नई इकाई के मामले में रू0 1 करोड प्रति इकाई प्रति वर्ष अथवा वर्तमान इकाई के मामले में रू0 50 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष होगी।

6.6 ब्याज उपादान केवल बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज पर अनुमन्य होगा। कोई दण्ड ब्याज अथवा अन्य शुल्क इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगा।

6.7 ब्याज उपादान 5 वर्ष अथवा ऋण भुगतान की अवधि, जो भी पहले समाप्त हो, के लिए प्रदान किया जायेगा।

6.8 यदि बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को 'डिफॉल्टर' घोषित किया जाता है तो डिफॉल्ट की पश्चातवर्ती अवधि हेतु इकाई को ब्याज उपादान नहीं किया जायेगा।

6.9 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के उपरान्त, निर्दिष्ट अवधि जिसके लिए ब्याज उपादान की मॉग की जाती है, यदि किन्हीं कारणवश, उक्त अवधि में 6

http://shasnadesh.up.nic.in

माह से अधिक अवधि हेतु इकाई का परिचालन बन्द रहा हो तो उस दशा में ब्याज उपादान की धनराशि उक्त अवधि के लिए अनुमन्य होगी।

6.10 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

7. <u>ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया</u>

7.1 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के पश्चात इकाई द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों यथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, व्यापार कर विभाग, कर एवं निबन्धन विभाग, आवास विभाग के नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा कि उनके द्वारा परियोजना की स्थापना की जा चुकी है एवं अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ किये जा चुके है। सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से इसकी पुष्टि करा कर अपने विभाग से सम्बन्धित क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का प्रमाण पत्र इकाई को प्रदान किया जायेगा।

7.2 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि अर्थात 31 मार्च के बाद ब्याज उपादान हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र नीति कार्यान्वयन इकाई(पी0आई0यू0) को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक होगें :-

7.2.1 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक(first Sales Invoice) की प्रति

7.2.2 वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य-कर विवरणी की प्रति

7.2.3 पॅजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

7.2.4 सर्विस टैक्स पॅजीयन प्रामण-पत्र की प्रति

7.2.5 PAN Card की प्रति

7.2.6 विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण-पत्र

7.2.7 वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति।

7.2.8 क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का प्रमाण पत्र

http://shrashadesh.up.nic.in

7.2.9 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006' के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन अथवा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र ।

7.2.10 नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका समस्त मदवार विवरण व उसकी पूष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र।

7.2.11 बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक कम्पनी/इकाई द्वारा कितने ब्याज का भुगतान किया गया हो, का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र ।

7.3 इकाई द्वारा ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

7.4 इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी ।

7.5 आवेदन-पत्र का प्रोसेंसिग शुल्क, यदि कोई देय हो, इकाई द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवेदन प्रस्तुति के समय जमा किया जायेगा।

8. <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

8.1 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा । यह कार्यवाही यथा सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी ।

8.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में पीआईयू द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनायें/विवरण की मॉग की जा सकती है। पीआईयू द्वारा मॉगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

8.3 पीआईयू द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थानों इत्यादि से सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्यापन का

http://srasnadesh.up.nic.in

कार्य पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज पीआईयू को दी जायेगी।

8.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में पीआईयू की संस्तुति पर नोडल एजेंसी यूपीएलसी शासन के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी ।

8.5 शासन द्वारा पीआईयू से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा कि इकाई को ब्याज उपादान के रूप में कितनी धनराशि अनुमन्य है।

8.6 शासनादेश निर्गत हो जाने पर इकाई एवं पीआईयू के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा ।

8.7 अनुबन्ध निष्पादित होने के प्रश्चात पीआइयू की संस्तुति पर नोडल ऐजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इकाई को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8.8 प्रत्येक वर्ष ब्याज उपादान की धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान कराये जाने के संबंध में पीआईयू की संस्तुति पर नोडल ऐजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भेजा जायेगा।

9. <u>ब्याज उपादान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत है, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आकडों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरू'द्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी ।

<u>संलग्नक-यथोक्त ।</u>

भवदीय,

(जी0पी0कमल)
संयुक्त सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या-11/577(1)/78-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को गोमती नगर लखनऊ ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in